राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एसबी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 577/2007

1. हनुमानराम पुत्र सुरजा राम उम्र लगभग 25 वर्ष;
2. श्रीमती पतासी देवी पत्नी बीरबल राम उम्र 38 वर्ष;
3. श्रीमती पूना पत्नी सुरेश पुत्री बीरबल राम उम्र लगभग 19 वर्ष सभी बी/सी धानक निवासी वार्ड नंबर 17, रावतसर, जिला हनुमानगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	कोई भी उपस्थित नहीं है
प्रतिवादी के लिए	:	श्री सुरेंद्र बिश्नोई, ए.जी.ए.

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट योग्य

26/03/2025

1. याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की विषय-वस्तु भादस की धारा 306 सपठित धारा 34 के अधीन विरचित किये गए आरोपों का आदेश है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक संख्या 2,

हनुमानगढ़, कैम्प नोहर ने दिनांक 24-05-2007 के आदेश द्वारा सत्र मुकदमा संख्या 44/2007 में उपरोक्त आदेश पारित किया।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सुरेश नामक व्यक्ति की शादी याचिकाकर्ता की बेटी पूनम से उसकी मृत्यु की घटना से तीन महीने पहले हुई थी। दुल्हन दो-तीन बार अपने ससुराल गई, लेकिन उसके बाद अपने माता-पिता के साथ अपने मायके में रहने लगी। मृतक सुरेश अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस लाने गया था, और आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने उसे फटकार लगाई। धक्का-मुक्की की घटना के बाद, उसे अभिकथित तौर पर खाली हाथ वापस भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष का दावा है कि उक्त व्यवहार ने मृतक को इस हद तक परेशान कर दिया कि उसने दूर किसी स्थान पर विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

2.1 दिनांक 08-07-2005 की एफआईआर में कथन किया गया है कि मृतक 05-07-2005 को याचिकाकर्ता के घर गया था और मृतक के पिता को 07-07-2005 को उसकी आत्महत्या की सूचना मिली। विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया। उल्लेखनीय है कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई।

2.2. अन्वेषण के दौरान 3-4 व्यक्तियों की साक्ष्य अभिलिखित की गई। इन कथनों में आरोप लगाया गया कि 05-05-2005 को मृतक अपनी पत्नी को लेने के लिए याचिकाकर्ता के घर गया था, लेकिन अपनी पत्नी और ससुराल वालों के अशिष्ट व्यवहार के कारण निराश हो गया। याचिकाकर्ता के घर से निकलने के बाद, उसका कोई अता-पता नहीं चला, जब तक कि वह किसी दूर स्थान पर बेहोशी की हालत में नहीं मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।

2.3. शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने विसरा सुरक्षित रखा था और किसी विषैले पदार्थ की जांच के लिए उसे रासायनिक परीक्षक के पास भेजने की सिफारिश की थी, हालांकि, ऐसी कोई रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह या तो प्राप्त नहीं हुई या प्रस्तुत नहीं की गई।

2.3. यहां यह उल्लेख करना दिलचस्प और सार्थक है कि सुरेश की कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं द्वारा हत्या की गई थी, हालांकि, अन्वेषण के निष्कर्षों ने उस दावे को नकार दिया, और अंततः धारा 306 भादस के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

3. अब इस न्यायालय को यह जाँच करनी होगी कि क्या अन्वेषण के दौरान एकत्रित तथ्य, परिस्थितियाँ और सामग्री, भादस की धारा 306 के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त हैं। भादस की धारा 306, आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है और इसे भादस की की धाराओं 107 और 108 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री की सूक्ष्म जाँच और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि इस मामले में धारा 306, भादस के अंतर्गत अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक घटक स्पष्ट रूप से और निर्णायक रूप से अनुपस्थित हैं।

3.1 इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामले में लगाए गए आरोप, उनके प्रत्यक्ष रूप में लिए जाने और संपूर्णता में स्वीकार किए जाने पर भी, भादस की धारा 306 सपठित धारा 107 एवं 108 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक विधिक घटकों को तुष्ट नहीं करते हैं। धारा 306 भादस के अंतर्गत अपराध निर्मित करने के लिए, धारा 107 भादस के अंतर्गत परिभाषित "दुष्प्रेरण"

का स्पष्ट सबूत होना चाहिए। इसमें (i) मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाहट, (ii) आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली साजिश में शामिल होना, या (iii) किसी कृत्य या अवैध लोप के माध्यम से आत्महत्या के किये जाने को सुगम बनाने के उद्देश्य से जानबूझकर दी गई सहायता शामिल है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी विशिष्ट, निकट या प्रत्यक्ष कृत्य का स्पष्ट अभाव है, जिसे अभिकथित आत्महत्या के लिए उकसाहट, षड्यंत्र या सक्रिय सहायता के रूप में माना जा सकता है। आरोपों से केवल यह पता चलता है कि जब मृतक अपनी पत्नी को लेने गया था, तब पारिवारिक मतभेद हुआ था और एक बहस के बाद उसे वापस भेज दिया गया था। हालाँकि, केवल मौखिक विवाद, पारिवारिक कलह, या अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेजने से इनकार करना—बिना किसी जानबूझकर, निरंतर, या दुर्भावनापूर्ण आचरण के—भादस की धारा 107 के अर्थ में "उकसाहट" के अर्थान्तर्गत नहीं आता। मात्र उत्पीड़न या आपसी कलह, बिना किसी उकसाहट के सकारात्मक कृत्य या आशयित सहायता के, भादस की धारा 306 को आकर्षित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कोई सुसाइड नोट, मृत्युकालिक कथन अथवा कोई कथन का अभाव है, जो आत्महत्या के समय मृतक की मानसिक दशा को प्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता के आचरण से जोड़ता हो। अभिकथित कृत्य और आत्महत्या के बीच कारणात्मक संबंध पूर्णतया अनुपस्थित है। भादस की धारा 108 के अंतर्गत भी, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपेक्षित मानसिक तत्व वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किये जाने के लिए दुष्प्रेरित किया था। यहां, मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आशय से ऐसा कोई मानसिक तत्व या आशयित आचरण निर्मित नहीं होता। दुष्प्रेरण के अपराध के लिए मानसिक अपराधिता की मात्रा तथा सहभागिता की आवश्यकता रहती है, जिसका इस मामले में पूर्णतया अभाव

है। मृतक ने अभिकथित घटना के कई दिनों बाद, किसी दूरस्थ स्थान पर आत्महत्या की, यह तथ्य तत्काल प्रकोपन या दुष्प्रेरण की किसी भी उपधारणा को और कमज़ोर करता है। इसके अतिरिक्त, विष के सेवन की पुष्टि करने वाली कोई न्यायालयिक रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है, जिससे मृत्यु का कारण आत्महत्या होने पर भी संदेह होता है। इस प्रकार, स्थापित विधिक स्थिति और अभिलेख पर के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, भादस की धारा 107 और 108 के अंतर्गत परिभाषित "दुष्प्रेरण" के आवश्यक तत्व अनुपस्थित हैं, और परिणामस्वरूप, भादस की धारा 306 के अंतर्गत आरोप कानूनी रूप से असंधार्य है।

3.2. यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता अभिकथित अपराध के दोषी हैं, न ही उनको कठोर आपराधिक विचारण के अधीन करने का कोई न्यायोचित्य है। यदि विचारण अग्रसर रहे और न्यायालय के समक्ष वही बयान दोहराए जाएँ, तब भी अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों में सारतः कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ताओं को विचारण का सामना करने के लिए बाध्य करना न्यायसंगत नहीं होगा।

4. तदनुसार, यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, हनुमानगढ़ कैंप नोहर द्वारा सत्र मुकदमा संख्या 44/2007 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.05.2007 एतद्द्वारा निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को आरोपों से मुक्त किया जाता है।

(फरजंद अली) ,जे

17-ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी